नंबर-3 सरकारी स्कूल में दलित छात्रों को वजीफ़ा नहीं

स्कूल प्रबंधन गड़प करना चाहता है सारा पैसा

फरीदाबाद (म.मो.) एनआईटी तीन नंबर स्थित ब्वायज़ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सैंकड़ों विद्यार्थियों का वज़ीफा बरसों से नहीं मिला है। इसके लिए छात्र जब प्रिंसिपल श्रीमती मुनीश देवी से मिलते हैं तो वह उन्हें झिड़क देती हैं। छात्र अपना-सा मुंह लेकर लौट जाते हैं। बहुत से छात्र तो स्कूल से निकल कर कॉलेजों में चले गये। ऐसे छात्रों ने तो वजीफ़ा पाने की आस पूरी तरह से छोड़ दी है। लेकिन जो छात्र अभी स्कूल में अध्ययनरत हैं, उन्होंने वजीफ़ा लेने का संकल्प कर लिया है और इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष को तैयार हैं।

विदित है कि सरकार पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिमाह 500 रुपया वजीफ़ा देती है। सरकारी रिकार्ड में इसकी खानापूर्ति भी होती है, पर एकाध अपवादों को छोड़ दिया जाये तो आज तक शायद ही किसी को वजीफ़ा मिला हो। इस सबंध में जानकारी पाने के लिए यह संवाददाता जब प्रिंसिपल से मिलने स्कूल गया तो वह वहां मौजूद नहीं थीं। इससे पहले सोमवार 4 जनवरी को भी वह स्कूल में नहीं थीं। जब उनसे मोबाइल पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे रिजल्ट लेने डीइओ ऑफिस जा रही हैं। क्या प्रिंसिपल का यही काम होता है कि वह सारा दिन डीइओ ऑफिस में रिजल्ट ही लेती रहे। कहा जाता है कि अक्सर स्कूल से गायब रहना उनकी आदत में शुमार है। उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार मणिराम नाम के शिक्षक संभालते हैं। वजीफ़ा संबंधी कार्यभार भी इन्हीं के जिम्मे है। संवाददाता ने इनसे ही बात की।

इस सवाल पर कि इन छात्रों को वजीफ़ा क्यों नहीं मिल रहा है, उन्होंने साफ़ कहा कि वजीफ़ा मिल रहा है। वहां उपस्थित एक-दो छात्रों ने जब इसका प्रतिवाद किया तो वह उन पर भड़क उठे। इस पर छात्र भी आक्रेश में आने लगे। छात्रों ने कहा कि उन्हें तो एक बार भी वजीफ़ा नहीं मिला है और मिला है तो इसका सबूत पेश करें। इस पर मणिराम

> **इसे विडंबना ही कहेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी अथवा अध्यापक अपने छात्रों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई वजीफ़ा राशि तक वितिरित नहीं कर सकते, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? बच्चों को पढ़ाना-लिखाना तो दूर की बात है। और जिस स्कूल का प्रिंसिपल ही स्कूल से गायब रहती हो तो बाकी स्टॉफ़ को तो कुछ करने की जरूरत ही क्या है?**

बगलें झांकने लगे। सरकारी योजनानुसार, प्रत्येक छात्र के लिए विद्यालयों को किसी बैंक में जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाना था और उसमें छात्रों का वजीफ़ा डालना था। इसके लिए छात्रों को कुछ नहीं करना था सिवा बैंक का एक फ़ॉर्म भरने के। पर फ़ार्म भरने के बावजूद छात्रों के खाते नहीं खुल सके। मणिराम ने कहा कि फ़ॉर्म ही ग़लत भरे हुए होंगे, इसलिए बैंक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। सवाल है, सही-सही फ़ार्म भरवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या मणिराम जी की नहीं? फ़िर ग़लत भरे फ़ॉर्मों को बैंकों तक पहुंचा देने का क्या तुक था?

छात्रों के यह पूछने पर कि उन्हें वजीफ़ा कब और कैसे मिलेगा, उनसे यही कहा जाता है वे बैंक में खाता खुलवा लें, उनके खाते में पैसा चला जायेगा। इस पर दो छात्रों ने कहा कि उन्होंने अपना एक हज़ार रुपया लगा कर पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया है और खाता नंबर भी उन्हें दिया है, फिर पैसा खाते में क्यों नहीं पहुंचा? इस पर मणिराम जी एक बार फ़िर बगलें झांकने लगे।

उन्होंने कहा कि सभी छात्र एक ही बैंक में खाता खोलें तो इससे सुविधा रहती है। पर यह काम तो स्कूल प्रबंधन को करना है। खाता खोलने के लिए छात्रों को अपना पैसा लगाने की बात कहीं नहीं है। पर मणिराम जी ने किसी भी बात का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक बात उन्होंने कही कि वजीफ़ा मद में दस लाख रुपये आ गये हैं और कुछ आने वाले हैं। जिनके खाते खुले हैं, उन्हें पैसे मिल जायेंगे। कब तक मिलेंगे? इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। और फ़िर जिन छात्रों ने अपना पैसा लगा कर खाता खुलवाया है, उसे क्या स्कूल प्रबंधन एक हज़ार रुपये अतिरिक्त देगा, क्योंकि बात तो जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाने की थी। एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन छात्रों के खाते अब तक नहीं खुले हैं, क्या स्कूल प्रबंधन उनके खाते खुलवायेगा? नियमानुसार तो स्कूल प्रबंधन को ही खाते खुलवाने चाहिए। फ़िर वह ऐसा करने से कतरा क्यों रहा है? क्या छात्रों के वजीफ़े के पैसे की बंदरबांट के लिए? फ़र्जी दस्तावेज़ बना कर इस देश में जहां भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, कुछ भी किया जा सकता है।

लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा। छात्र जागरूक हो गये हैं। वे संगठित भी हो रहे हैं। अपने हक का पैसा लेने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। स्कूल प्रबंधन और ज़िला प्रशासन को अपनी भद्द पिटवाने से पहले छात्रों को वजीफ़ा राशि दे देनी चाहिए। वे अब पहले की तरह मुंह बंद कर रह जाने वाले नहीं। छात्र अब संघर्ष की राह पर उतरने की तैयारी में हैं-

पक चुकी हैं आदतें बातों से सर होंगी नहीं
कोई हंगामा करो, ऐसे गुजर होगी नहीं।

इसलिए विद्यालय प्रबंधन को छात्रों के आक्रोश और उनके संघर्ष एवं आंदोलन से बचना है तो वह जितनी जल्दी संभव हो सके, छात्रों के बीच वजीफ़े का वितरण कर दे। अब तक तो उसने खूब चांदी काटी है, पर अब हालात बदले-बदले दिखाई पड़ रहे हैं। छात्रों को अपने अधिकारों का बोध होता जा रहा है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी अथवा अध्यापक अपने छात्रों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई वजीफ़ा राशि तक वितिरित नहीं कर सकते, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? बच्चों को पढ़ाना-लिखाना तो दूर की बात है। और जिस स्कूल का प्रिंसिपल ही स्कूल से गायब रहती हो तो बाकी स्टॉफ़ को तो कुछ करने की जरूरत ही क्या है?

खुलेआम बिक रहा न्याय

मुख्य न्यायाधीश महोदय को जनता की बगावत का डर

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर न्यायालयों में इसी तरह मुकदमें लंबित रहे तो लोग़ों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जायेगा और वे बगावत कर देंगे। बहुत दूर तक सोचा है मुख्य न्यायाधीश महोदय ने। इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह से आज मुकदमों के जाल में उलझे लोग़ हलकान हो रहे हैं, उसे देखते हुए अगर स्थिति में बदलाव नहीं आया तो लोग़ बगावत पर उतर सकते हैं।

यह अच्छी बात है कि मुख्य न्यायाधीश महोदय ने समय रहते हुए इस सच को स्वीकार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि परिस्थिति में बदलाव के लिए मुख्य न्यायाधीश महोदय करें तो क्या करें? उनके हाथ में कुछ है नहीं। जो कुछ कर सकती है, वह है सरकार। पर सरकार हज़ारों की संख्या में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं दिखती। मुख्य न्यायाधीश का मानना है कि जब तक हज़ारों की संख्या में न्यायाधीश नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक न्यायपालिका के हाथ-पांव बंधे रहेंगे। यह ठीक है। काम करने के लिए पर्याप्त और दक्ष लोग़ों का होना जरूरी है। पर सवाल है कि जितने जज न्यायपालिका को उपलब्ध हैं, वे क्या कर रहे हैं? आख़िर करोड़ों की संख्या में मुकदमों का ढेर तो दो-चार दिनों में लग नहीं सकता। यह ढेर तो बरसों से लगा हुआ है और दिन-ब-दिन इसमें बढ़ोत्तरी ही होती चली जा रही है। क्या इसके लिए न्यायपालिका की कार्यशैली जवाबदेह नहीं है? क्या लेटलतीफ़ी अधिकांश जजों का स्वभाव नहीं बन गया है? जिन मामलों में शीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, उनमें भी जज साहेबान तारीख पर तारीख दिये जाते हैं और मुकदमे को बरसों खींच ले जाते हैं। न्याय मिलने में देर इस हद तक हो जाती है कि उसके मिलने अथवा न मिलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कहा भी गया है कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। इस अन्याय को झेलने के लिए वे लोग़ विवश हैं जो मुकदमेबाज़ी के चक्कर में फंसे हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी जिसने मुकदमा किया हो, फ़ैसले का इंतज़ार करते-करते और अदालतों में अपनी एड़ियां रगड़ते-रगड़ते परलोक सिधार जाता है।

आज इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रारंभिक स्तर पर ही मुकदमों को निपटा दिया जाये अथवा मुकदमेबाजी में व्यर्थ फंसे लोग़ों को समझौता करने के लिए प्रेरित किया जाये।

जहां तक आपराधिक मुकदमों का सवाल है, देखा यह गया है कि अपराधी जितना बड़ा हो और अपराध कितना भी संगीन हो, उसे जमानत मिल जाती है और जमानत पर छूटा हुआ अपराधी फ़िर से अपराधकर्म में संलग्न हो जाता है। वहीं कोई निर्दोष व्यक्ति जिसे 'न्यायिक प्रक्रिया' का पूरा ज्ञान न हो, जेल में सड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार तो हालत यह हो जाती है कि जिसे एक अथवा दो वर्ष की सज़ा होती है, वह अपने जीवन के चार-पांच अमूल्य वर्ष जेल में गुज़ार चुका होता है। क्या इसका मुआवज़ा देने की कोई व्यवस्था है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? ऐसी दशा में न्यायपालिका से भरोसा उठना स्वाभाविक है।

मुख्य न्यायाधीश महोदय ने तो कम न्यायाधीश होने का रोना तो रोया है, पर न्यायपालिका में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार पर कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा है। आज एक दिनाकरण ने न्यायिक व्यवस्था के मुंह पर कालिख पोत डाली है। पर चोर वह जो पकड़ में आ जाये। आज न्यायिक व्यवस्था में ऐसे दिनाकरणों की कोई कमी नहीं है जो महाभियोग लगाये जाने के पात्र हैं। दिनकरण के मामले पर मुख्य न्याय्याधीश महोदय ने इसके सिवा कुछ नहीं कहा कि उन पर कार्रवाई करना सरकार के जिम्मे है। सवाल यह है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचारियों की पहचान करने और उन पर काबू पाने की कोई कारगर पद्धति नहीं है? अगर नहीं है तो लोग़ न्यायपालिका पर भरोसा कैसे करेंगे? जिस न्यायाधीश को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, वह बेईमान और भ्रष्ट निकले तो आख़िर लोग़ क्या करेंगे सिवा बगावत करने के?

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार (जजों द्वारा रिश्वतखोरी) ने ऊपर से लेकर नीचे तक एक कोढ़ का रूप ले लिया है। जज अपनी संपत्ति छुपाने के लिए प्रयासरत हैं और वे इसे अपना हक मान कर चलते हैं। आख़िर क्यों? क्या वे लोग़ों के बीच अपना देवदूत जैसा स्वरूप बनाये रखना चाहते हैं? लगता तो ऐसा ही है। पर जनता जो एक तरफ़ जजों के वेतन-भत्ते और दूसरी तरफ़ उनकी विलासिता को देख रही है, अब उन्हें स्वर्ग से उतरा हुआ देवदूत नहीं मान सकती।

क्या मुख्य न्यायाधीश महोदय ने न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कभी कोई टिप्पणी की है? नहीं, बल्कि इन्होंने यह कोशिश की थी कि जजों को अपनी संपत्ति छुपाने का अधिकार मिला रहे और अदालतों के काम-काज को सूचना के अधिकार से मुक्त रखा जाये। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने हमेशा इसी बात का रोना रोया है कि जजों की संख्या काफ़ी कम है और मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा है। इससे आगे और अलग कुछ भी सोचने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी है।

जहां तक जनता द्वारा बगावत किये जाने का सवाल है तो ऐसा वो करे या नहीं, पर न्यायपालिका पर से तो उसका विश्वास उठ ही चुका है। वैसे भी गरीब शोषित-उत्पीड़ित जनता न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकती, क्योंकि न्याय 'खरीदने' की उसकी औकात नहीं है। न्याय तो संपत्तिशाली लोग़ 'खरीद' रहे हैं। न्याय खुलेआम बिक रहास है। ऐसी हालत में न्यायिक व्यवस्था के सबसे बड़े संचालक मुख्य न्यायाधीश महोदय को जनता द्वारा बगावत किये जाने का डर क्यों नहीं सताये?

❑ **मनोज कुमार झा**

गुंडागिरी से डॉक्टरी नहीं चलती

करनाल (जे.के.-पी.के.) चिकित्सा के क्षेत्र में पांच-सितारा सुविधायें देने के नाम पर लोग़ों की जेब पर डाका डालने वाले अस्पतालों के संचालक अब सरकार को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग़लत इलाज़ के कारण मरीज़ की मौत की जिम्मेदारी लेने से डॉक्टर कतराते तो हैं ही, उलटे परिजनों को धमकी भी देते हैं।

इंडियन मेडिकल काउंसिल के अनुसार डॉ.प्रवीण गर्ग के ग़लत इलाज़ के कारण 8 जून को संदीप रहेजा की मौत हो गई। इंडियन मेडिकल ऐसोसियेशन ने अपनी जांच में डॉ. प्रवीण गर्ग को इलाज़ में कोताही बरतने का दोषी पाया और उसका लाइसेंस तीन माह के लिए रद्द कर दिया, साथ ही प्रैक्टिस पर भी रोक लगा दी। डॉ. गर्ग ने इस पर अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन उसे अदालत से कोई राहत नहीं मिली और मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया ने उसकी प्रैक्टिस पर छः माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

इस पर मेडिकल ऐसोसियेशन, करनाल ने डॉ.प्रवीण गर्ग के हक में खड़े होते हुए प्रतिबंध तीन माह तक रखने की ही मांग की। पर डॉ. गर्ग तो इस मामले में किसी काउंसिल और एसोसियेशन की दखलंदाजी चाहता ही नहीं था, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे देश में एकमात्र संस्था है जिसके निर्देशों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसकी संस्तुति के बिना कोई भी डॉक्टर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। साथ ही विदेशों से चिकित्सा की शिक्षा लेकर आने वाले डॉक्टरों को यहां मेडिकल काऊंसिल की छान-बीन से गुज़रना पड़ता है। ऐसे में इस तरह की संस्था और आईएमए, करनाल की भी उपेक्षा कर डॉ.गर्ग क्या करना चाहता है, यह बात समझ में नहीं आती। भूलना नहीं होगा कि चिकित्सा आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है, न कि स्वागत और मनोरंजन सेवाओं के, इसलिए अगर डॉ.गर्ग ने अपने आप में सुधार नहीं लाया तो उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं।

चिकित्सा क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं चल सकती जो डॉ.गर्ग चलाना चाहते हैं। अगर वे आईएमए, करनाल द्वारा दिये गये निर्देशों को नहीं मानते और मेडिकल काऊंसिल के समक्ष अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए माफ़ी नहीं मांगते तो वे इस देश क्या, दुनिया में कहीं भी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पायेंगे। उनके पैसे की धमक से इस क्षेत्र में कुछ भी होने वाला नहीं है।

चिकित्सा क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं चल सकती जो डॉ.गर्ग चलाना चाहते हैं। अगर वे आईएमए, करनाल द्वारा दिये गये निर्देशों को नहीं मानते और मेडिकल काउंसिल के समक्ष अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए माफ़ी नहीं मांगते तो वे इस देश क्या, दुनिया में कहीं भी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पायेंगे। उनके पैसे की धमक से इस क्षेत्र में कुछ भी होने वाला नहीं है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06